

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेडा, जिला -

भीलवाडा

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

**::आदेश ::**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..... करेडा II ..... व भूअभिलेख निरीक्षक ..... करेडा ..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम बेलिया का पटवार हल्का करेडा ..... तहसील करेडा व जिला भीलवाडा की जमाबंदी संवत् 2073-2076 में खाता संख्या 171, 172 ..... में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	बेलिया का खेडा	171 172	मान सिंह पुग गुरु सिंह	मनीष सिंह पुग गुरु सिंह

उपखण्ड अधिकारी करेडा,  
जिला-भीलवाडा

क्रमांक:- न्यायालय/2021/43

दिनांक:- 11/11/2021

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मनीष सिंह पुग गुरु सिंह

प्रभारी अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
करेडा, जिला-भीलवाडा